24

न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 122-एक/2002 पुनरीक्षण – विरूद्ध आदेश दिनांक 04 जनवरी, 2002 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर – प्रकरण कमांक 92/1996-97 अपील

लालाराम पुत्र हम्मीर सिंह साहू
ग्राम सोंतेर तहसील चन्देरी तत्का.
जिला गुना वर्तमान जिला अशोकनगर ---आवेदक

विरूद्ध

1– रघुवीर सिंह पुत्र तुलसी यादव
2– भैयालाल पुत्र तुलसी यादव
निवासी ग्राम सोंतेर तहसील चंदेरी
तत्का.जिला गुना वर्तमान जिला अशोकनगर ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री मुकेश बेलापुरकर)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री आर0डी0शर्मा)

आ दे श

(आज दिनांक 2 – 3 –2016 को पारित)

अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 92/1996-97 अपील में पारित आदेश दिनांक 04 जनवरी, 2002 के विरूद्ध यह निगरानी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है आवेदक ने अनावेदकगण के स्वामित्व कर ग्राम सोंतेर स्थित भूमि सर्वे नंबर 319 रकबा 0.021 है0 (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) पर म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 116 के अंतर्गत कब्जा दर्ज कराने हेतु आवेदन दिया। तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 23 अ 6 अ/1995-96 में पारित आदेश दि. 17-74-97 से प्रकरण निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी चन्देरी केसमक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 20/96-97 अपील में पारित

आदेश दिनांक 10-7-1997 से अपील निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील होने पर व्दारा प्रकरण क्रमांक 92/1996-97 अपील में पारित आदेश दिनांक 04 जनवरी, 2002 से अपील निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

2/ निगरानी मेमो में वर्णित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में उभय पक्ष के बीच स्वत्व का मामला माननीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 चन्देरी के न्यायालय में चला है जहां से प्रकरण क्रमांक 56/'ए' /06 में पारित आदेश दिनांक 30.6.2006 से आवेदक को वादग्रस्त भूमि में दखल न देने हेतु प्रतिबन्धित किया गया है एंव वादग्रस्त भूमि का अनावेदकगण को भूमिस्वामी घोषित किया गया है । माननीय व्यवहार न्यायालयों के आदेश राजस्व न्यायालयों पर बन्धनकारी है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में वादग्रस्त भूमि पर आवेदक का कब्जा अंकित करने के सम्बन्ध में विचार किया जाना संभव नहीं है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों अवलोकन से उनके व्दारा निकाले निष्कर्ष समवर्ती हैं जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण क्रमांक 92/1996-97 अपील में पारित आदेश दिनांक 04 जनवरी, 2002 विधिवत् होने से स्थिर रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर